राजस्थान सरकार
निदेशालय,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,राजस्थान,जयपुर।

क्रमांकः–सामा./आर.एच./11/41 दिनांकः 09.06.2011

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
राजस्थान।

**विषयः–** राजकीय/ अनुदानित विद्यालयों में अध्यनरत सभी छात्र/छात्राओं के स्वास्थ्य परीक्षण के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य के **सभी राजकीय प्राथमिक विद्यालय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, रामावि, रासीमावि एवं संस्कृत शिक्षा विभाग के विद्यालयों में अध्ययनरत राजकीय एवं अनुदानित माध्यमिक एवं उच्चमाध्यमिक विद्यालयों** मे अध्यनरत सभी छात्र/छात्राओं के स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम दिनांक 15 जुलाई–11 से शुरु किया जा रहा है। ताकि जिन बच्चों में खून कि कमी /खाज खुजली, पेट में कीड़े, विटामिनो की कमी/दृष्टि हॅास, टीबी, एवं दातों में होने वाली बीमारियों/उम्र के अनुपात में वजन व लम्बाई में कमी से ग्रस्त बच्चों का पता लगा कर उनको उपचार उपलब्ध करवाया जा सके, ताकि राष्ट्र के निर्माण मे वे अपनी भूमिका निभा सकें।

प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं प्रमुख शासन सचिव, स्कुल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग के सयुक्त हस्ताक्षर द्वारा जारी की गई कार्य योजना सलंग्न कर भिजवाई जा रही है, इसके अनुसार बैठकें आयोजित कर सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सा अधिकारी द्वारा माईको प्लान तैयार करवाकर स्वास्थ्य परीक्षण कार्य दिनांक 15.07.11 से 6.09.11 तक सम्पादित करावें, तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर आवश्यक औषधियों व स्टेशनरी की आवश्यक उपलब्धता सुनिश्चित करें। रिपोर्ट सलंग्न प्रपत्रानुसार ही भिजवावें।
संलग्नः– उपरोक्तानुसार

अति0निदेशक (ग्रा0 स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान,जयपुर।

क्रमांकः–सामा./आर.एच./11/
दिनांकः
प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

1. निजी सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री,राज0सरकार जयपुर।
2. निजी सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्यमंत्री,राज0सरकार जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग,राज0, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0क0,राज0, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पंचायत राज विभाग,एवं मिड–डे–मील,राज0, जयपुर।
6. निजी सहायक, निदेशक (जन स्वा0),चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,राजस्थान,जयपुर।
7. समस्त सयुंक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन राज0 को निर्देश दिये जाते हैं कि कार्यक्रम की मोनिटरिंग सुचारू रूप से की जावे एवं दैनिक एवं साप्ताहिक रिर्पोट संकलन कर निदेशालय में फैक्स न0 0141–2224831 पर समय से भिजवाना सुनिश्चित करें।
8. उप निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, ब्लॉक–5, द्वितीय एवं तृतीय तल, जयपुर।
9. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय, राजस्थान।
10. प्रभारी सर्वर रूम को नेट में पर डालने हेतु।
11. कार्यालय प्रति।

अति0निदेशक (ग्रा0 स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान,जयपुर।

# कार्ययोजना
## शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम
## 2011–12

| क्र. सं. | गतिविधि | दिनांक | दायित्व |
|---|---|---|---|
| 1 | संभाग स्तरीय मीटिंग (मेडिकल विभाग, पंचायती राज विभाग एवं शिक्षा विभाग) | 15.6.11 | सभी सयुक्त निदेशक |
| 2 | प्रभारी शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम / ए.पी.सी. (प्रा.शि.) बैठक | 16.6.11 | राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, जयपुर |
| 3 | जिला स्तरीय कोर ग्रुप संयुक्त मीटिंग (मेडिकल विभाग, पंचायती राज विभाग एवं शिक्षा विभाग) एवं ब्लॉकवार योजना निर्माण एवं प्रबंध व्यवस्था | 23.6.11 | डीपीसी, सर्व शिक्षा अभियान, संबंधित जिला |
| 4 | **आवश्यकतानुसार स्वास्थ्य पंजिका एवं रेफरल कार्ड्स जिलों को उपलब्ध कराना** | **30.6.11 तक** | **एसएसए / आरएमएसए** |
| 5 | ब्लॉक / पीएचसी स्तरीय कोर ग्रुप संयुक्त मीटिंग (मेडिकल विभाग, पंचायती राज विभाग एवं शिक्षा विभाग) एवं विद्यालयवार योजना निर्माण एवं प्रबंध व्यवस्था | 7.7.11 | बीईईओ / नोडल संस्था प्रधान एवं संबंधित ब्लॉक एवं सी.एच.सी / पीएचसी इंचार्ज, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग |
| 6 | एएनएम, एलएचवी, एमपीडब्ल्यू एवं प्रत्येक विद्यालयों से 2 अध्यापक का प्रशिक्षण (मेडिकल विभाग, पंचायती राज विभाग एवं शिक्षा विभाग) | 10.7.11 तक | सभी सी.एच.सी / पीएचसी इंचार्ज, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग |
| 7 | **जिलों द्वारा विद्यालयों को स्वास्थ्य पंजिका / रेफरल कार्ड्स उपलब्ध कराना** | **11.7.11 तक** | **जिला परियोजना समन्वयक, एसएसए / आरएमएसए** |
| 8 | विद्यालयवार छात्र संख्या की अद्यतन सूची पीएचसी को उपलब्ध कराना | 11.7.11 तक | नोडल प्रधानाध्यापक / संस्था प्रधान |
| 9 | विद्यार्थियों / शिक्षकों / अभिभावकों को स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम की जानकारी देना एवं प्रचार–प्रसार | 12.7.11 तक | प्रधानाध्यापक, संबंधित विद्यालय |
| 10 | जिला / ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य जांच कार्यक्रम प्रबंध / व्यवस्था की समीक्षा / सुनिश्चयन | 13.7.11 तक | जिला / ब्लॉक स्तरीय कोर ग्रुप |
| 11 | विद्यालय स्तरीय स्वास्थ्य चैकअप प्रबंध | 14.7.11 तक | शिक्षा विभाग / चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग |
| 12 | **हैल्थ चैकअप एवं स्वास्थ्य पंजिका स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा भरा जाना** | **15.7.11 से 16.8.11** | **शिक्षा विभाग / चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग** |
| 13 | **स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा स्क्रीन्ड किये गये बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जाना एवं रैफर कार्ड भरा जाना** | 20.7.11 से 19.8.11 | शिक्षा विभाग / चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग |
| 14 | अनुपस्थित विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण | 24.8.11 से 25.8.11 | शिक्षा विभाग / चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग |
| 15 | रैफरल प्रकरणों की पहचान एवं रैफरल कार्ड भरा जाना | 26.8.11 से 16.9.11 | शिक्षा विभाग / चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16 | रैफरल प्रकरणों की मोनिटरिंग | 19.9.11 से क्रमशः | शिक्षा विभाग / चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग |
| 17 | चिकित्सा विभाग के लिये वाहन व्यवस्था | जूलाई –11 से सितम्बर–11 | चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग(आर.सी.एच. फण्ड से) |
| 18 | शिक्षा विभाग एवं प्रोजेक्ट के लिये वाहन व्यवस्था | जूलाई –11 से सितम्बर–11 | आर.सी.ई.ई., जयपुर (एस.एस.ए. फण्ड से) |
| 19 | पंचायती राज विभाग के लिये वाहन व्यवस्था | जूलाई –11 से सितम्बर–11 | पंचायती राज विभाग, जयपुर |

प्रमुख शासन सचिव
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
राजस्थान सरकार , जयपुर।

प्रमुख शासन सचिव,
स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा
राजस्थान सरकार, जयपुर।

# राजस्थान सरकार

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
राजस्थान सरकार

शिक्षा विभाग (स्कूल एंव संस्कृत शिक्षा
राजस्थान सरकार

क्रमांक– 2270
दिनांक –24.5.2011

## परिपत्र
## शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम
(सत्र 2011–12)

शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, रामावि, रासीमावि एवं संस्कृत शिक्षा विभाग के विद्यालयों में अध्ययनरत राजकीय एवं अनुदानित माध्यमिक एवं उच्चमाध्यमिक विद्यालयों के सभी विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, पंचायत राज विभाग एवं शिक्षा विभाग के समन्वित सहयोग एवं प्रयास से वर्ष 2011–12 के अन्तर्गत दिनांक 15 जुलाई 2011 से 6.9.2011 तक संलग्न कार्यक्रमानुसार किया जायेगा। इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की जांच एवं सामान्य बीमारी (बुखार, सिरदर्द, खांसी, उल्टी, दस्त, एनीमिया, आयरन/विटामिन की कमी, दंतरोग, दृष्टिदोष आदि) की दवाइयां एवं उनका उपचार स्वास्थ्य परीक्षण के समय उन्हें उपलब्ध कराया जाना सम्मिलित है।

जिन बच्चों में दृष्टि, श्रवण, अस्थि दोष, मानसिक विमंदिता अथवा बहुविकलांगता पाई जाती है, उन्हें मेडिकल बोर्ड से परीक्षण हेतु रैफर किया जायेगा। स्वास्थ्य परीक्षण विद्यालयवार किया जायेगा। स्वास्थ्य परीक्षण के उद्देश्य निम्नलिखित है–

1. विद्यार्थियों में प्रारंभिक अवस्था में होने वाली सामान्य बीमारियों का पता लगाकर उनका उपचार करना।
2. स्वास्थ्य परीक्षण उपरांत गंभीर रोग से ग्रसित विद्यार्थियों को उपचार की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।
3. विद्यार्थियों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करना।
4. अच्छे स्वास्थ्य हेतु वातावरण निर्माण करना।
5. विभिन्न दोषयुक्त बच्चों को चिह्नीकरण पश्चात् स्वास्थ्य परीक्षण हेतु रैफर करना।

**इस कार्यक्रम की विस्तृत कार्ययोजना/प्रक्रिया निम्नानुसार होगी–**

1. **विभिन्न स्तरों (राज्य, जिला, ब्लॉक, नोडल एवं विद्यालय ) पर कोर टीम का गठन।**

➢ **राज्य स्तरीय कोर टीम–**

- आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, जयपुर
- आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
- निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
- निदेशक (जन स्वा0), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
- अतिरिक्त निदेशक, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, जयपुर।

- अतिरिक्त निदेशक (ग्रा.स्वा.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
- उपायुक्त (औ.शि.), राप्राशिप, जयपुर।

➢ **संभाग स्तरीय कोर टीम–**

संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा संबंधित उपनिदेशक (प्रारंभिक शिक्षा व माध्यमिक शिक्षा) कार्यक्रम के समन्वयन एवं संयुक्त मॉनिटरिंग का दायित्व निर्वहन करेंगे।

➢ **जिला स्तरीय कोर टीम–**

जिला कलेक्टर
सीईओ, जिला परिषद्
सीएमएचओ
डीईओ (प्रा.शि.)/माध्यमिक शिक्षा
डी.पी.एम.(एन.आर.एच.एम)
डिप्टी सीएमएचओ मुख्यालय/आर.सी.एच.ओ.
एडीपीसी, सर्व शिक्षा अभियान/माध्यमिक शिक्षा अभियान
एपीसी, प्रभारी विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान

➢ **ब्लॉक स्तरीय कोर टीम–**

बीडीओ
बीईईओ
ब्लाक सी.एम.ओ. एवं ब्लाक प्रोग्राम मैनेजर (बी.पी.एम.)
एबीईईओ,(वरिष्ठ) प्रभारी अधिकारी विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम

➢ **नोडल स्तरीय कोर टीम**

पीएचसी इन्चार्ज
प्रगति/पंचायत प्रसार अधिकारी
संस्था प्रधान, नोडल विद्यालय, प्रभारी विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम

➢ **विद्यालय स्तरीय कोर टीम–**

**चिकित्सा अधिकारी**
**संस्थाप्रधान/अध्यक्ष विद्यालय प्रबंधन समिति**
**अभिभावक प्रतिनिधि, एसएमसी**
**एएनएम**
**ग्राम सेवक**
**मनोनीत अध्यापक, प्रभारी विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम**

2. **कार्यक्रम क्रियान्वयन की संयुक्त जिम्मेदारी कोर टीम की होगी। विभिन्न विभागों की संयुक्त बैठक बुलाने का <u>दायित्व शिक्षा विभागीय अधिकारियों का होगा।</u>**

3. बच्चों में व्याप्त बीमारियों की जांच किये जाने से उपचार/निदान तक मॉनिटरिंग का संयुक्त दायित्व उक्त टीम का होगा।

4. विभिन्न स्तरों पर किये जाने वाले कार्य/दायित्व निम्नानुसार होंगे–

(A) विद्यालय स्तरीय कार्य

- विद्यार्थियों का पंजीकरण एवं सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण यथा–ऊंचाई मापन, वजन मापन एवं सीना मापन प्रभारी शिक्षक/शिक्षिका द्वारा किया जाना।
- स्वास्थ्य कार्यकर्ता(ए.एन.एम/एल.एच.वी./अन्य) द्वारा सभी विद्यार्थियों का मेडिकल चैकअप करना एवं स्वास्थ्य पंजिका संधारण।
- चिकित्सा अधिकारी द्वारा स्वास्थ्य कार्यकर्ता(ए.एन.एम/एल.एच.वी./अन्य) द्वारा स्क्रीन किये गये विद्यार्थियों में पायी जाने वाली सामान्य बीमारियों का प्राथमिक उपचार वितरण हेतु उपलब्ध निःशुल्क दवाइयां देकर किया जाना। गंभीर बीमारियों के लिए रैफर कार्ड भरना तथा आवश्यकता पड़ने पर प्रकरण रैफर करना।
- चिकित्सा अधिकारी द्वारा विद्यालय को उपलब्ध करायी गई चैक लिस्ट के आधार पर चिह्नित विभिन्न दोषयुक्त बच्चों की सूची तैयार करना तथा चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षण पश्चात् इन्हें मेडिकल बोर्ड के लिए रैफर करना।
- रैफरल कार्ड को संस्थाप्रधान एवं चिकित्सा अधिकारी दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर से पीएचसी/सीएचसी/जिला अस्पताल को भिजवाया जाना।
- विद्यालयों में प्रभारी अध्यापक द्वारा स्वास्थ्य जांच पंजिका संधारण किया जाना। जॉच पंजिका/स्वास्थ्य पजिका भरवाये जाने में सहयोग का दायित्व संस्थाप्रधान का होगा।
- स्वास्थ्य जांच पश्चात् विवरण पीएचसी एवं ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराना।

व्यवस्था/प्रबंध (संस्था प्रभारी द्वारा)

- स्वास्थ्य परीक्षण तिथि का पूर्व से प्रचार–प्रसार करना यथा– रैली/प्रभातफेरी का आयोजन।
- विद्यार्थियों के अभिभावकों को स्वास्थ्य कार्यक्रम दिवस का संदेश भिजवाना तथा उनसे उपस्थिति की अपील करना।
- तीन दिन पूर्व विद्यालय स्टाफ की बैठक कर व्यवस्था (पेयजल, स्थान, टेबल–कुर्सी, दरी, बच्चों को लाने की व्यवस्था, कार्ड व रजिस्टर संधारण, मेडिकल स्टाफ की व्यवस्था, चिकित्सालय से समन्वयन आदि) के पृथक–पृथक दायित्व आवंटित करना।
- स्वास्थ्य परीक्षण दिवस पर बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित करना।
- विद्यालय के बड़े कक्ष में स्वास्थ्य जांच की उचित व्यवस्था करना तथा स्वास्थ्य जांच हेतु आवश्यक उपकरण (भार मापक, ऊंचाई मापक, सीना मापक) आदि की व्यवस्था करना।
- संबंधित कक्षा अध्यापक द्वारा बच्चों को पंक्तिबद्ध स्वास्थ्य परीक्षण कक्ष में भिजवाना।
- स्वास्थ्य परीक्षण कक्ष में जल व्यवस्था उपलब्ध कराना।

(B) पीएचसी/सीएचसी स्तरीय कार्य

- चिकित्सा अधिकारी द्वारा रैफर प्रकरणों पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रकरणों को पीएचसी/सीएचसी/जिला अस्पताल भिजवाना।
- *बीसीएमओ इन्चार्ज द्वारा क्षेत्र की कार्यरत एएनएम, एलएचवी, एमपीडब्ल्यू एवं संविदा पर ली जाने वाली सेवानिवृत्त एएनएम/एलएचवी एवं दो विद्यालयी अध्यापकों के प्रशिक्षण की समयपूर्व व्यवस्था करना।*
- *समयबद्ध स्वास्थ्य जांच कार्यक्रम की सूचना बीसीएमओ इन्चार्ज से प्राप्त कर नोडल संस्था प्रधान द्वारा स्कूल/ब्लॉक/जिला स्तर तक पहुंचाना।*
- चिकित्सा अधिकारी एवं संस्थाप्रधान द्वारा रैफर प्रकरणों का *बीसीएमओ* पर अलग से रजिस्टर संधारित करवाना। रैफरल कार्ड का फीड बैक बीसीएमओ चिकित्सक द्वारा फोलोअप किया जाना।
- पीएचसी पर औषधियों की आवश्यक पहुंच/उपलब्धता चिकित्सा अधिकारी द्वारा सुनिश्चित करना।

व्यवस्था/प्रबंध

- संबंधित विद्यालयों से परीक्षण तिथि के पूर्व से ही सम्पर्क कर व्यवस्थाओं हेतु समन्वयन करना।
- विद्यालयों को देय समय एवं तिथि पर स्वास्थ्य परीक्षण हेतु उपस्थिति सुनिश्चित करना।
- स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्र पर सामान्य बीमारियों के लिये अनुमोदित सूची के अनुसार दवाइयों की पहुंच सुनिश्चित करना।
- अनुमोदित दवाइयों की सूची संस्थाप्रधान को उपलब्ध कराना।
- जरूरत मंद गरीब बच्चों को राष्ट्रीय अंधता निवारण कार्यक्रम के अन्तर्गत निःशुल्क चश्मे वितरित करना।
- कार्यरत मेडिकल स्टाफ की कमी/अनुपलब्धता महसूस होने पर संविदा पर सेवानिवृत्त एएनएम, एलएचवी की व्यवस्था करना।

(C) **पंचायती राज विभाग के कार्य–**

- **मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् द्वारा सभी विकास अधिकारियों को स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम की प्रभावी मॉनिटरिंग एवं बैठकों में अनिवार्यतः उपस्थिति हेतु पाबंद-करना।**
- **संबंधित विकास अधिकारियों द्वारा अधीनस्थ कार्मिकों को विद्यालय स्तर तक** स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम की गतिविधियों में सहभागिता हेतु आदेशित करना।
- जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित कर स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम की जानकारी देना।
- विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम दिवसों पर मॉनिटरिंग के लिये कार्यक्रम तय करना।
- अन्य आंवटित व अपेक्षित सहयोग।

(D) <u>राज्य स्तरीय कार्य–</u>

1. राज्य स्तर से समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशन का दायित्व आयुक्त, राप्राशिप, जयपुर का होगा। रैफरल कार्ड प्रिन्टिंग एवं शाला स्वास्थ्य पंजिका प्रिन्टिंग की व्यवस्था प्रारम्भिक शिक्षा के लिए सर्व शिक्षा अभियान द्वारा एवं माध्यमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राजस्थान द्वारा की जावेगी तथा सम्बन्धित परियोजनाओं द्वारा व्यय वहन किया जायेगा। प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत प्रत्येक विद्यालय को वर्ष 2011–12 तक के लिए स्वास्थ्य पंजिकाएं पूर्व में उपलब्ध करा दी गई हैं, इस वर्ष आवश्यकतानुसार अतिरिक्त प्रतियां उपलब्ध करायीं जावेंगी।
2. संबंधित विभागों द्वारा कार्यक्रम की मॉनिटरिंग सुनिश्चित किया जाना।
3. विभिन्न विभागों के अधिकारियों / कार्मिकों की सामूहिक बैठक बुलाये जाने का दायित्व राप्राशिप का होगा।

**(E) <u>अन्य दायित्व</u>**

1. जिला स्तर से सीएचसी / पीएचसी / एएनएम / पैरामेडीकल स्टॉफ की स्वास्थ्य परीक्षण हेतु ड्यूटी लगाने का दायित्व संबंधित जिले के सीएमएचओ का होगा।
2. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.) / माध्यमिक शिक्षा अपने जिले के बीईईओ को कार्यक्रम की मॉनिटरिंग तथा संस्था प्रधानों को स्वास्थ्य परीक्षण तिथि से पूर्व की व्यवस्थाओं हेतु पाबन्द करेंगे।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् अपने जिले के समस्त पंचायती राज संस्थाओं के कार्मिको को स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम में सहयोग हेतु विशेष दिशानिर्देश जारी करेंगे।
4. पंचायती राज विभाग, शिक्षा विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के कार्मिकों को यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता उनके स्वयं के विभागों से देय होगा।
5. स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम में चिकित्सा विभागीय कार्मिकों के अतिरिक्त आवश्यकता होने पर अन्य सेवानिवृत्त कार्मिक की सेवाऐं लिये जाने पर उनका भुगतान मेडिकल विभाग द्वारा किया जायेगा।
6. संबंधित बीईईओ / जिला शिक्षा अधिकारी, जिले के सीएमएचओ को विद्यालयों की सूची देकर उनसे स्वास्थ्य परीक्षण तिथि प्राप्त करेंगे और सूचना स्कूल / ब्लॉक / जिले को देंगे।
7. समस्त जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों को विभिन्न दोष वाले बच्चों के दोष मूल्यांकन हेतु मेडिकल बोर्ड का गठन कराकर इन बच्चों के दोष का मूल्यांकन कराना। अंग उपकरण की अभिशंषा के साथ विकलांगता प्रमाण पत्र तैयार कराना।
8. समस्त जिला अस्पताल / सी.एच.सी. / पी.एच.सी. को रैफर किये गये विद्यार्थियों का उपचार प्राथमिकता के आधार पर किया जाना सुनिश्चित करायेंगे।

- स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम में मौके पर संपादित की जाने वाली प्राथमिकताऐं—

➢ संस्थाप्रधान स्वास्थ्य परीक्षण हेतु विद्यालय में एक कमरा साफ सुथरा उपलब्ध करावेंगे। इस कमरे में मेडिकल स्टॉफ की बैठक व्यवस्था हेतु कुर्सी व मेज, स्वयं के स्टॉफ की बैठक व्यवस्था, भार मापक मशीन, ऊंचाई मापक, सीना मापक आदि उपकरणों के साथ विद्यार्थियों की फर्श पर बैठने की उचित व्यवस्था करायेंगे।

➢ रैफरल कार्ड चिकित्सा अधिकारी द्वारा बच्चे की बीमारी को इंगित करते हुये भरा जावेगा तथा सूचनार्थ अभिभावक को भेजा जायेगा। अभिभावक बच्चे को लेकर पीएचसी/सीएचसी/ जिला अस्पताल में उपस्थित होंगे।

➢ विद्यालय में विद्यार्थियों के स्वास्थ्य परीक्षण का विवरण निर्धारित प्रारूप में रजिस्टर में संधारित किया जावेगा

➢ स्वास्थ्य परीक्षण तिथि को पीएचसी चिकित्सा अधिकारी अपने क्षेत्र के विद्यालयों में फील्ड विजिट करेंगे। इस हेतु उन्हें वाहन व्यवस्था चिकित्सा विभाग द्वारा आरसीएच मद से उपलब्ध करायी जायेगी।

➢ ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी/ब्लाक प्रोग्राम मैनेजर संयुक्त रूप से कार्यक्रम की मॉनिटरिंग करेंगे। इस हेतु वाहन व्यवस्था सर्व शिक्षा अभियान/माध्यमिक शिक्षा अभियान द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।

➢ जिला स्तरीय कोर टीम बिना सूचना के किसी भी ब्लॉक/नगर पालिका/शहर के विद्यालय के स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम का निरीक्षण कर आवश्यक जानकारी प्राप्त करेगी तथा कोताही पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही की अनुशंषा कर सकेगी।

➢ मेडिकल विभाग स्वीकृत सूची में से दवाइयां/माइक्रोन्यूट्रियन्ट्स/आयरन फोलिक एसिड बच्चों के सामान्य इलाज के लिये उपलब्ध करायेगा।

➢ मेडिकल विभाग बीपीएल श्रेणी के गंभीर बीमारियों से ग्रसित विद्यार्थियों के उपचार हेतु निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध करायेगा।

**(F) शाला स्वास्थ्य पंजिका एवं रैफरल कार्ड एवं मुद्रण, वितरण एवं रिकॉर्ड संधारण –**

➢ **शाला स्वास्थ्य पंजिका एवं रैफरल कार्ड प्रिन्टिंग की व्यवस्था प्रारम्भिक शिक्षा के लिए सर्व शिक्षा अभियान द्वारा एवं माध्यमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राजस्थान द्वारा परियोजना मद-से की जावेगी।**

➢ स्वास्थ्य जांच के पश्चात् स्वास्थ्य जांच का रिकॉर्ड, स्वास्थ्य पंजिका में संधारित किया जायेगा।

➢ रैफरल प्रकरणों को रैफरल कार्ड द्वारा रैफर किया जायेगा। यह कार्ड चिकित्सा अधिकारी एवं संस्थाप्रधान के संयुक्त हस्ताक्षर से विद्यार्थियों को उपचार हेतु जारी किया जावेगा। इस कार्ड में बच्चे की बीमारी को इंगित करते हुये अभिभावक को इलाज हेतु लिखा जायेगा।

## विशेष शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम रेफरल कार्ड

प्रारूप

1. विद्यार्थी का नाम .................................. 2. उम्र ..............................3. लिंग.........................
4. माता/पिता/अभिभावक का नाम ................................................. 5. कक्षा .........................
6. विद्यालय का नाम ................................ 7. ब्लॉक .............................8. जिला .......................
9. स्वास्थ्य परीक्षण तिथि ............................ डाइस कोड ................................................
10. विद्यालय में मौके पर चिकित्सक द्वारा दिया गया उपचार ........................................
.............................................................................................................................

11. रेफर किये गये संस्थान का नाम व पता .......................................................................
12. रोग जिसके लिए रेफर किया गया ...................................................................................

ह. चिकित्सक

रेफर किये गये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वा.के./जिला अस्पताल/उच्चतर चिकित्सा संस्थान के द्वारा की गई जांच/उपचार का विवरण

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

ह. चिकित्सा अधिकारी

## स्वास्थ्य परीक्षण संबंधी सूचना

ब्लॉक— ब्लॉक कोड— जिला—

प्रपत्र –1

| क्र.सं. | नोडल विद्यालय का नाम | विद्यालय का प्रकार (उ.प्रा./ प्रा./सै/ सी.सै. आदि) | विद्यालयों की कुल संख्या | स्वास्थ्य जांच वाले विद्यालयों की संख्या | कुल विद्यार्थी | स्वास्थ्य जांच किये गये विद्यार्थी | अस्वस्थ पाये गये विद्यार्थी | रेफरल प्रकरणों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | |

➢ जिला मुख्यालय से निर्धारित प्रारूप में सूचना राज्य स्तर पर भेजी जायेगी–

**नोटः– अभियान के दौरान प्रभावी मॉनिटरिंग के लिये प्रारम्भिक शिक्षा विभाग/सर्व शिक्षा अभियान, माध्यमिक शिक्षा विभाग/आरएमएसए द्वारा ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किये जायेंगे तथा नियमित रूप से सूचना विद्यालय से उचित माध्यम से राज्य स्तर को प्रेषित की जायेगी।**

इसी प्रकार विद्यालयों से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा सूचना एकत्र कर, उचित माध्यम से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी संबंधित जिले को प्रेषित की जायेगी

एवं जिले द्वारा उचित माध्यम से राज्य स्तर पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा सूचना संकलित की जायेगी।

*शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम के महत्व को देखते हुये समस्त संबंधित अधिकारियों/शिक्षकों/कार्मिकों से अपेक्षा की जाती है कि वे पूर्ण रूप से सामंजस्य रखते हुये तत्परता से कार्य कर, शतप्रतिशत विद्यालयों को सम्मिलित करते हुये, समस्त बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण सुनिश्चित कर, कार्यक्रम को सफल बनायें।*

**प्रमुख शासन सचिव**
**चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग**
**राजस्थान सरकार , जयपुर।**

**प्रमुख शासन सचिव,**
**स्कूल एंव संस्कृत शिक्षा**
**राजस्थान सरकार, जयपुर।**

क्रमांक                                                    दिनांक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, प0क0 एवं एम.डी. एन.आर.एच.एम. विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद् जयपुर को भेजकर निवेदन है कि आपके अधीन समस्त कार्यालयों/अधिकारीगणों को सूचित करने का श्रम करावे।
6. आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा विभाग/निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा बीकानेर को भेजकर निवेदन है कि आपके अधीन समस्त कार्यालयों/अधिकारीगणों को सूचित करने का श्रम करावे।
7. आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर, राजस्थान को भेजकर निवेदन है कि आपके अधीन समस्त कार्यालयों/अधिकारीगणों को सूचित करने का श्रम करावे।
8. निदेशक (प0क0/एडस) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
9. अति0 निदेशक (ग्रा0स्वा0), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, निदेशालय जयपुर।
10. जिला कलेक्टर, समस्त जिले।
11. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, समस्त संभाग राज0।
12. स्टेट प्रोग्राम मैनेजर (एन.आर.एच.एम), निदेशालय मुख्यालय को भेजकर लेख है कि आपके अधीन समस्त डी.पी.एम तथा बी.पी.एम.को सूचित करने का श्रम करावे।
13. उपनिदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा, समस्त संभाग।
14. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा जिला समस्त।
15. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला समस्त।
16. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, एसएसए/आरएमएसए जिला समस्त।
17. कार्यालय प्रति।

निदेशक(जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर।

# दैनिक रिपोर्ट का प्रपत्र

(स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा चैकअप की सूचना)

| क्र.सं. | विवरण | आज का विवरण | आज तक का विवरण |
|---|---|---|---|
| 1 | आपके जिले में कुल कितने राजकीय प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, रामावि, रासीमावि एवं संस्कृत शिक्षा विभाग के विद्यालयों में अध्ययनरत राजकीय एवं अनुदानित माध्यमिक एवं उच्चमाध्यमिक **विद्यालयों में Health Checkup** कार्यक्रम किया जाना है। (लक्ष्य) | | |
| 2 | आपके जिले में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, रामावि, रासीमावि एवं संस्कृत शिक्षा विभाग- के विद्यालयों में अध्ययनरत राजकीय एवं अनुदानित माध्यमिक एवं उच्चमाध्यमिक विद्यालयों में कुल कितने बच्चों का लक्ष्य है। | छात्रों की संख्या ........................ छात्राओं की संख्या ........................ | |
| 3 | आज तक आपके जिले में कुल कितने स्कूलों मे Health Checkup किया जा चूका है। | | |
| 4 | आज तक आपके जिले के प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के कितने बच्चों का Health Checkup किया जा चूका है। | छात्रों की संख्या ........................ छात्राओं की संख्या ........................ | छात्रों की संख्या ........................ छात्राओं की संख्या ........................ |